राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ

एकलपीठ **सिविल अवमानना याचिका संख्या** 1003/2018 में

(1) खंडपीठ सिविल विशेष अपील (**सिविल**) संख्या 22/2018

1. श्री शंकर झा (प्रबंधक), बैंक **ऑफ महाराष्ट्र**, 13, तिलक नगर शॉपिंग सेंटर, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, राजा पार्क, जयपुर-302004. राज.
2. **श्री राहुल** (प्रबंधक), बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर जोन, 6वीं मंजिल, "**फॉर्च्यून हाइट्स**", सी-94, अहिंसा सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर-302001.
3. **श्री प्रगति कुमार** (मुख्य प्रबंधक), **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, जयपुर जोन, 6वीं मंजिल, "फॉर्च्यून हाइट्स", सी-94, अहिंसा सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर-302001.
4. **अरिनेन्दु शेखर**, वर्तमान में मुख्य प्रबंधक, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, अंचल कार्यालय, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) में तैनात।

----अपीलार्थी/अवमानकर्ता

बनाम

1. **नन्द किशोर गुप्ता पुत्र स्व. नाथू लाल गुप्ता**, उम्र लगभग 47 वर्ष, **निवासी** प्लॉट **संख्या** 9, श्री राम नगर जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)। वर्तमान पता प्लॉट **संख्या** 4 **शंकर विहार कॉलोनी**, जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)।
2. **श्रीमती उषा खंडेलवाल पत्नी श्री नंद किशोर गुप्ता**, उम्र लगभग 47 वर्ष, **निवासी** प्लॉट संख्या 9, श्रीराम नगर जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)। **वर्तमान पता** प्लॉट **संख्या** 4 शंकर विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थी

<u>निम्न से सम्बद्ध</u>

एकलपीठ सिविल अवमानना सं. 1003/2018 में

(2) खंडपीठ विशेष अपील (सिविल) सं.13/2019

रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र देवीशरण शर्मा, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी बी-403 **अनुकंपा ग्रैंडियर सेवेज फार्म सोडाला**, जयपुर।

----अपीलार्थी(**अपील की अनुमति के साथ**)

बनाम

1. **नन्द किशोर गुप्ता पुत्र स्व. नाथू लाल गुप्ता**, उम्र लगभग 47 वर्ष, **निवासी** प्लॉट **संख्या** 9, श्री राम नगर, जगतपुरा जयपुर (राजस्थान) वर्तमान पता प्लॉट **संख्या** 4, **शंकर विहार कॉलोनी**, जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)।
2. **श्रीमती उषा खंडेलवाल पत्नी श्री नंद किशोर गुप्ता**, उम्र लगभग 47 वर्ष, **निवासी**

प्लॉट संख्या 9, श्री राम नगर, जगतपुरा जयपुर (राजस्थान) वर्तमान पता प्लॉट संख्या 4, शंकर विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता

3. श्री. शंकर जाह (प्रबंधक), बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 13, तिलक नगर, शॉपिंग सेंटर, एलबीएस कॉलेज के सामने, राजापार्क, जयपुर 302004 राजस्थान।
4. श्री राहुल (प्रबंधक), बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर जोन 6वीं मंजिल, "फॉर्च्यून हाइट्स", सी-94 अहिंसा सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर 320001.
5. श्री प्रगति कुमार (मुख्य प्रबंधक), बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर जोन 6वीं मंजिल, "फॉर्च्यून हाइट्स", सी-94 अहिंसा सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर 320001.

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण के लिए	:	श्री आर.के. सालेचा एडवोकेट के साथ श्री अक्षत कुलश्रेष्ठ एडवोकेट, सुश्री तनीषा खुबचंदानी एडवोकेट सुश्री सुरभि बैराठी एडवोकेट और डॉ.अभिनव शर्मा एडवोकेट(एसएसी संख्या 13/2019 में) श्रीएल.एल. गुप्ता एडवोकेट(एसएसी संख्या 13/2019 में)
प्रत्यर्थीगण के लिए	:	श्री सतीश खंडेलवाल एडवोकेट, श्री महेश शर्मा एडवोकेट सुश्री हर्षिता शर्मा एडवोकेट के साथ, श्री नागेन्द्र मीना एडवोकेट श्री रत्नेश शर्मा एडवोकेट के साथ ।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी

निर्णय

रिपोर्टेबल

4/05/2022

न्यायालय द्वारा: (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

आवेदक-रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा दायर आवेदन पर खंडपीठ विशेष अपील (सिविल) संख्या 13/2019 में सुनवाई हुई, जिसमें अपील दायर करने के लिए

न्यायालय से अनुमति मांगी गई।

2. आवेदन में उल्लिखित कारणों से, आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक-रामेश्वर प्रसाद शर्मा को अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है।

3. डी.बी विशेष अपील (सिविल) संख्या 13/2019 को दाखिल करने में 250 दिन की देरी हुई है।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खंडपीठ सिविल विशेष अपील (सिविल) संख्या 22/2018 दिनांक 08.08.2018 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसे अपील संख्या 13/2019 में भी चुनौती दी गई है, हम देरी को माफ करना उचित समझते हैं।

5. तदनुसार, अपील संख्या 13/2019 दाखिल करने में देरी माफ की जाती है और अपील संख्या 13/2019 में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन की अनुमति दी जाती है।

6. इस सामान्य निर्णय द्वारा, दोनों अपीलों का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि वे एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1003/2018 में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 08.08.2018 के एक ही आदेश से उत्पन्न हुई थीं।

7. प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता नंद किशोर गुप्ता और श्रीमती उषा खंडेलवाल ने अपीलार्थी-बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऋण उधार लिया था। उन्हें वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'सरफेसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जयपुर (इसके बाद 'डीआरटी' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें नोटिस जारी किए गए थे और अगली तारीख 02.02.2018 तय की गई थी। जबकि डीआरटी की नियमित बैठक और सुनवाई नहीं हो रही थी, बैंक ने 30.01.2018 को संपत्ति की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी किया, जो डीआरटी के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख से पहले था। ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता नंद किशोर गुप्ता और श्रीमती उषा खंडेलवाल ने एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2033/2018 दायर कर सुरक्षात्मक छत्रछाया की मांग की और सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी डिमांड नोटिस को रद्द करने की

प्रार्थना की। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा नोटिस जारी किया गया। बिक्री नोटिस को भी चुनौती दी गई और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई। रिट याचिका में अन्य सहायक राहतें भी मांगी गईं। रिट याचिका का निपटान अंततः कुछ निर्देशों के साथ दिनांक 25.01.2018 के आदेश द्वारा किया गया।

8. हालाँकि, सुरक्षा का आदेश होने के बावजूद, बिक्री की पुष्टि हो गई थी और कब्जे की डिलीवरी भी हो गई थी, जिसके कारण अपीलार्थी-बैंक अधिकारियों के खिलाफ (खंडपीठ सिविल विशेष अपील (सिविल) संख्या 22/2018) में अवमानना याचिका (एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 1003/2018) दायर की गई। नोटिस के बाद, उत्तर दाखिल किया गया और न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के आरोप को मुख्य रूप से इस दलील और बचाव के आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सरफेसी अधिनियम के तहत एक रिट याचिका में रिट याचिकाकर्तागण की संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस से संबंधित आदेश दिनांक 25.01.2018 को पारित किया गया था।, जिसे हालांकि 30.01.2018 को छोड़ दिया गया और उसके बाद, 28.02.2018 को नीलामी आयोजित करने के लिए एक नया नोटिस जारी किया गया, जिसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया गया। यह भी दलील दी गई कि 25.01.2018 को पारित न्यायालय के आदेश ने स्थगन आवेदन की सुनवाई तक रिट याचिकाकर्तागण की रक्षा की। मामले को डीआरटी ने सुनवाई की अगली तारीखों पर उठाया, लेकिन रिट याचिकाकर्तागण के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया। इसलिए, अधिकारी नीलामी के लिए आगे बढ़े, जो 28.02.2018 को निर्धारित थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 26.04.2018 को नीलामी बिक्री की पुष्टि हुई।

9. हालाँकि, विद्वान एकलपीठ, अवमानना याचिका की सुनवाई करते समय, अवमाननाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे और यह माना गया कि दिनांक 25.01.2018 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई थी और अवमाननाकर्ता, दिनांक 25.01.2018 के आदेश की प्रकृति और दायरे से पूरी तरह परिचित थे और इसका उल्लंघन किया गया। विद्वान एकलपीठ ने तदनुसार अवमाननाकर्ताओं को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया। विद्वान एकलपीठ ने यह भी माना कि 26.04.2018 को बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी

करना दिनांक 25.01.2018 के आदेश का उल्लंघन था, इसलिए, ऐसे सभी कार्य और कार्यवाही शून्य थीं। उपलब्ध सभी विधिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर रिट याचिकाकर्तागण की संपत्ति पर कब्जा वापस लेने का भी निर्देश जारी किया गया था।

सजा के पहलू पर, विद्वान एकलपीठ ने कहा कि उस मुद्दे पर बाद में पक्षों के वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाया जा सकता है कि रिट याचिकाकर्तागण और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल होने में सक्षम है और ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है।

अवमानना कार्यवाही में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अवमाननाकर्ताओं/अधिकारियों द्वारा खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 22/2018 को प्राथमिकता दी गई है।

बाद में, नीलामी क्रेता, रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने भी बैंक अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवमानना की घोषणा के अलावा खंडपीठ सिविल विशेष अपील (सिविल) संख्या 13/2019 के तहत एक अपील दायर की है, जिसमें माननीय एकलपीठ ने रिट याचिकाकर्तागण की अचल संपत्ति का कब्ज़ा, जिसे नीलामी के लिए रखा गया था और जिसके संबंध में बिक्री की पुष्टि की गई थी और नीलामी क्रेता रामेश्वर प्रसाद शर्मा के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया था, को वापस लेने का भी निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया था कि ऐसी कार्यवाही जो दिनांक 25.01.2018 के आदेश के उल्लंघन में की गई ठी, प्रारंभ से ही शून्य थी।

10. खंडपीठ सिविल स्पेशल अपील (सिविल) संख्या 22/2018 में अपीलार्थीगण को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराते हुए विद्वत एकलपीठ द्वारा पारित आदेश की वैधता और विधिमान्यता पर प्रश्न उठाते हुए, अपीलार्थीगण-बैंक अधिकारियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सबसे पहले न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई अवज्ञा नहीं की गयी। विकल्प में, यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही यह माना जाता है कि नीलामी क्रेता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई दिनांक 25.01.2018 के आदेश का उल्लंघन है, किसी भी मामले में, यह साबित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण दलील या साक्ष्य

नहीं है कि यह अपीलार्थीगण-अवमाननाकर्ताओं द्वारा जानबूझकर कर की गई अवज्ञा का मामला था। अपीलार्थी अरिनेंदु शेखर की ओर से कहा गया है कि उन्हें अवमानना याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था, न ही उन्हें अवमानना का कोई नोटिस जारी किया गया था। अवमानना याचिका में उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है। अवमानना याचिका में उनके द्वारा केवल यह बताने के लिए एक शपथ-पत्र दायर किया गया था कि कार्यवाही प्रामाणिक थी। वह अपील संख्या 22/2018 में अपीलार्थी के रूप में अन्य अवमाननाकर्ताओं में शामिल हो गए क्योंकि विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश व्यापक है।

अपीलार्थी-बैंक अधिकारियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय द्वारा 25.01.2018 को पारित आदेश नीलामी की सूचना के संबंध में था, जो 30.01.2018 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। बाद में, बिक्री के नोटिस दिनांक 08.02.2018 के तहत नई नीलामी कार्यवाही शुरू की गई और उन कार्यवाही में, 26.04.2018 को बिक्री की पुष्टि की गई। इसलिए, इसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता क्योंकि आदेश पहली नीलामी कार्यवाही के संबंध में था, न कि दूसरी नीलामी के संबंध में।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि 25.01.2018 के आदेश ने रिट याचिकाकर्तागण को केवल स्थगन आवेदन की सुनवाई तक नीलामी बिक्री कार्यवाही की पुष्टि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की। मामले को बाद की तारीखों पर डीआरटी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कोई रोक नहीं दी गई थी, हालांकि स्थगन आवेदन की सुनवाई हो चुकी थी, और मामला स्थगित कर दिया गया था। इसलिए, रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 के तहत संरक्षण स्वतः समाप्त हो गया। यह बैंक के अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश की वास्तविक समझ थी, जिसने उन्हें बाद की नीलामी कार्यवाही में संपत्ति की नीलामी के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस न्यायालय को उपरोक्त दलील को स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने समय-समय पर डीआरटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का हवाला दिया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थी-रिट

याचिकाकर्ता सुरक्षा के पात्र नहीं थे जैसा कि उन्हें दिनांक 25.01.2018 के आदेश द्वारा दिया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता बार-बार अवसरों के बावजूद ऋण नहीं चुका रहे थे और रिट याचिका गलत तरीके से दायर की गई थी। तथ्यों से यह पता चलता है कि डीआरटी के न बैठने के कारण, रिट याचिकाकर्तागण को स्थगन आवेदन पर निर्णय होने तक सुरक्षा की मांग करते हुए रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आगे तर्क यह है कि हालांकि रोक के लिए आवेदन पर सुनवाई की गई, लेकिन डीआरटी द्वारा रिट याचिकाकर्तागण के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया।

11. यह भी तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता स्वयं रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए, उन्होंने खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 444/2018 को प्राथमिकता दी, जिसका 03.04.2018 इस अवलोकन के साथ निपटारा कर दिया गया कि समीक्षा के लिए आवेदन करना ही उचित उपाय है। इसके बाद, रिट याचिकाकर्तागण ने 20.04.2018 को एकलपीठ सिविल समीक्षा याचिका संख्या 114/2018 दायर की, जिसमें नोटिस जारी किए गए और मामला लंबित था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्तागण के कहने पर भी, दिनांक 25.01.2018 के आदेश की आलोचना की गई थी और समीक्षा की भी मांग की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, नीलामी की कार्यवाही, बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने में संबंधित बैंक अधिकारियों की कार्रवाई को अवज्ञा का कार्य नहीं कहा जा सकता है, जिससे कि यह न्यायालय की अवमानना हो।

12. दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने एक आम निवेदन किया है कि अवमानना याचिका का निर्णय करते समय, पूरक निर्देश जारी किए गए हैं, जो **जेएस परिहार बनाम गणपत दुग्गर और अन्य (1996) 6 एससीसी 291** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर कानून में स्वीकार्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि **जेहल तांती और अन्य बनाम नागेश्वर सिंह (मृत)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने में कानून की त्रुटि की गई थी। **(2013) 14 एससीसी 689** क्योंकि उस मामले में, मामले को अंततः नए निपटान के लिए न्यायालय में भेज दिया गया था।

13. न्यायालय को यह समझाने का भी प्रयास किया गया है कि रिट याचिका में पारित दिनांक 25.01.2018 का आदेश कानून में उचित नहीं था और निर्णयों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के कई न्यायिक निर्णयों के मद्देनजर, रिट कोर्ट को नीलामी की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और इस उद्देश्य के लिए, **प्राधिकृत अधिकारी** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, **स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य बनाम मैथ्यू केसी (2018) 3 एससीसी 85** पर भरोसा किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण-बैंक अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए, वसूली अधिकारी के समक्ष बिक्री प्रमाणपत्र वापस लेने/वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए विद्वान एकलपीठ की टिप्पणी भी कानून में न्यायसंगत नहीं है क्योंकि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (केंद्रीय रजिस्ट्री) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत शुरू की गई कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमावली, 2011 वसूली कार्यवाहियों से पृथक और स्वतंत्र है, अत प्राधिकृत अधिकारी की कार्यवाहियों को वसूली अधिकारी द्वारा पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जेएस परिहार (सुप्रा.) के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया; **सुधीर वासुदेवा, अध्यक्ष और एमडी, ओएनजीसी और अन्य बनाम एम जॉर्ज रविशेखरन और अन्य, एआईआर 2014 एससी 950; थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड बनाम नानक बिल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, एआईआर 2013 एससी 2389; बाबूलाल एवं अन्य बनाम नगर निगम निगम। रतलाम और अन्य (2005) 13 एससीसी 101; दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2010) 12 एससीसी 770 और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य, (2010) 8 एससीसी 110।**

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-याचिकाकर्तागण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि रिट याचिकाकर्ता ऋण चुकाने के लिए तैयार थे और विशिष्ट पेशकश के बावजूद, बैंक अधिकारियों ने भूमि हड़पने वाले के साथ मिलकर जल्दबाजी में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत नोटिस

जारी करने और कार्यवाही करने के बाद संपत्ति को नीलामी के लिए आगे बढ़ाया। जिसे डीआरटी के समक्ष आवेदन करके रिट याचिकाकर्तागण द्वारा चुनौती दी गई थी। हालांकि, डीआरटी नियमित रूप से बैठकर आवेदनों को नहीं सुन रहा था और इस बीच, डीआरटी के समक्ष सुनवाई के लिए याचिकाकर्तागण के आवेदन के आने से पहले, रोक के लिए उनकी प्रार्थना को विफल करने के लिए, बैंक अधिकारियों/अवमाननाकर्ताओं ने बिक्री नोटिस जारी किया और नीलामी के लिए 30.01.2018 की तारीख तय की। इन दबाव वाली परिस्थितियों में और डीआरटी द्वारा स्थगन आवेदन की सुनवाई के बिना अपनी अचल संपत्ति को नीलामी से बचाने के लिए, रिट याचिकाकर्तागण को रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आगे यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त अजीबोगरीब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिट कोर्ट ने 25.01.2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश जारी करके रिट याचिकाकर्तागण की रक्षा की गई ताकि स्थगन के लिए उनका आवेदन निरर्थक न हो और जब तक स्टे के लिए आवेदन पर सुनवाई और निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सके। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि रिट कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2018 के तहत नीलामी की कार्यवाही पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई थी, लेकिन इस आशय का संरक्षण था कि बैंक 30.01.2018 को नीलामी के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन बिक्री की पुष्टि सुनवाई की अगली तारीख तक नहीं की जाएगी जिसमें डीआरटी को स्टे आवेदन पर सुनवाई करने का स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा और मामले में, स्थगन आवेदन पर सुनवाई नहीं होती है तो स्थगन आवेदन की सुनवाई तक न्यायालय द्वारा पारित आदेश लागू रहेगा। आदेश का स्पष्ट रूप से रिट याचिकाकर्तागण को स्टे आवेदन के निर्णय तक बचाने का इरादा था और अपीलार्थीगण का यह कहना कि स्टे केवल सुनवाई तक जारी रहेगा, भले ही कोई आदेश पारित नहीं किया गया हो, पूरी तरह से बेतुका है और न्यायालय द्वारा कभी भी इसका इरादा नहीं था। विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि बैंक अधिकारी अनपढ़ या देहाती व्यक्ति नहीं हैं। न्यायालय के आदेश से यह बहुत स्पष्ट था कि न्यायालय का इरादा था कि जब तक स्थगन की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती और उस पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक संरक्षण जारी रहेगा। डीआरटी ने स्टे के

लिए आवेदन पर निर्णय नहीं किया, हालांकि मामला सूचीबद्ध था, लेकिन स्टे आवेदन पर आदेश पारित नहीं किए गए थे। इसके बाद, नीलामी की एक नई तारीख तय करते हुए नीलामी नोटिस जारी किया गया था, भले ही स्थगन के लिए आवेदन पर सुनवाई नहीं की गई और एक या दूसरे तरीके से निर्णय लिया गया, बैंक अधिकारियों-अवमाननाकर्ताओं ने बिक्री की पुष्टि करने के साथ-साथ बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने और नीलामी खरीदार को कब्जा देने के लिए आगे बढ़े, जिससे विद्वान एसआई द्वारा पारित दिनांक 25.01.2018 का आदेश पूरी तरह से निराशाजनक हो गया।

15. विद्वान अधिवक्ता अगली बार प्रस्तुत करेंगे कि रिट याचिकाकर्तागण की अचल संपत्ति का कब्जा वापस लेने के लिए अवलोकन केवल एक परिणामी आदेश है और इस तरह का पूरक आदेश नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि **जेहल तांती और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, बिक्री की पुष्टि, बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना और नीलामी खरीदार को अचल संपत्ति का कब्जा सौंपना शुरू से ही शून्य है। इसलिए, बैंक अधिकारियों द्वारा परिणामी कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी, जो विद्वान एकलपीठ द्वारा अवमाननाकर्ताओं को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराते हुए पाए गए हैं।

16. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की आगे की दलील यह है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के बाद, अवमाननाकर्ताओं को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि रिट याचिका में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 कानून में उचित नहीं था। दिनांक 25.01.2018 के आदेश को अवमाननाकर्ताओं या यहां तक कि नीलामी क्रेता द्वारा कभी भी कोई अपील या समीक्षा दायर करके चुनौती नहीं दी गई थी, 25.01.2018 के आदेश के संचालन पर कोई रोक तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए, यह आदेश प्रभावी और प्रभावी रहा, जिसने अवमाननाकर्ताओं को बिक्री की पुष्टि करने या बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने से रोक दिया, नीलामी क्रेता के पक्ष में रिट याचिकाकर्तागण की अचल संपत्ति का कब्जा सौंपना तो दूर की बात है। दिनांक 25.01.2018 के आदेश के तहत नीलामी आयोजित करने की अनुमति थी, लेकिन बिक्री की पुष्टि तब तक नहीं की जाती जब तक कि रोक के लिए आवेदन पर सुनवाई नहीं हो जाती और डीआरटी द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता।

इसलिए, अवमाननाकर्ताओं को, नीलामी करने के बाद, कार्यवाही को लंबित रखना चाहिए था और रिट याचिकाकर्तागण द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर डीआरटी द्वारा पारित आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और यदि स्थगन आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो वे बिक्री और अन्य सभी बाद की कार्यवाही की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अवमाननाकर्ताओं ने नीलामी में बोलीदाता के साथ हाथ मिलाया और इसलिए उन्होंने बिक्री की पुष्टि करने के लिए जल्दबाजी की और अचल संपत्ति का कब्जा सौंप दिया, हालांकि स्थगन के लिए आवेदन किसी भी तरह से निर्णय लिए बिना डीआरटी में लंबित रहा और इसलिए, यह जानबूझकर अवज्ञा का एक स्पष्ट मामला है जैसा कि अवमानना कार्यवाही में विद्वान एकलपीठ द्वारा आयोजित किया गया है।

17. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर अपनी उत्सुकता से विचार किया है और रिकॉर्ड, विभिन्न आदेशों और दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किए गए अधिकारियों का अवलोकन किया है।

18. प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्तागण (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2033/2018) द्वारा दायर रिट याचिका की सामग्री से पता चलता है कि रिट याचिकाकर्तागण ने बैंक से ऋण लिया था और जब वे ऋण के पुनर्भुगतान की पेशकश करके निपटान का दावा कर रहे थे, संबंधित प्राधिकरण ने सरफेसी अधिनियम के तहत धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत कार्यवाही शुरू की। रिट याचिका में दी गई दलीलों से आगे पता चलता है कि बैंक की कार्रवाई से व्यथित, रिट याचिकाकर्तागण ने डीआरटी के लिए एक आवेदन दायर करके उपाय का लाभ उठाया था, साथ ही आगे की रोसीडिंग पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया था क्योंकि रिट याचिकाकर्तागण को आशंका थी कि उनकी अचल संपत्ति को नीलामी के लिए रखा जा सकता है और बेचा जा सकता है। यह भी पता चला है कि डीआरटी, जयपुर अपनी नियमित बैठक नहीं कर रहा था और किसी न किसी कारण से, रिट याचिकाकर्तागण द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर सुनवाई नहीं की गई, निर्णय लिया गया और इस बीच, बैंक ने 30.01.2018 को नीलामी निर्धारित की। इस पृष्ठभूमि में, रिट याचिकाकर्तागण ने संरक्षण की मांग करते हुए रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जबकि सरफेसी अधिनियम के तहत धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत तैयार की गई विभिन्न बिक्री नोटिस और कार्यवाही को रिट याचिका में चुनौती दी गई थी और राहत मांगी गई थी, नीलामी के खिलाफ सुरक्षात्मक

छतरी भी मांगी गई थी, जिसे 30.01.2018 को निर्धारित किया गया था, जबकि रोक के लिए आवेदन डीआरटी के समक्ष अनिर्णीत लंबित रहा। पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, विद्वान एकलपीठ ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया:

> "1. प्रत्यर्थी बैंक 30.01.2018 को नीलामी के साथ आगे बढ़ सकता है लेकिन डीआरटी से पहले अगली तारीख अर्थात 2.2.2018 तक बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी।
>
> 2.डीआरटी सुनवाई की अगली तारीख पर स्थगन आवेदन पर सुनवाई करेगा क्योंकि अन्यथा याचिकाकर्तागण ने पूरी बकाया राशि चुकाने की इच्छा जताई है और कहा है कि उन्होंने पर्याप्त राशि का भुगतान किया है।
>
> 3.यदि स्थगन आवेदन पर सुनवाई 2.2.2018 को नहीं होती है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थगन आवेदन की सुनवाई तक लागू रहेगा, इस प्रकार डीआरटी को जल्द से जल्द स्टे आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया जाता है।
>
> 4.याचिकाकर्ता आज से एक महीने के भीतर बैंक को सात लाख रुपये का भुगतान करेंगे।
>
> 5.यदि प्रत्यर्थी-बैंक इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट रहता है, तो वह आदेश के संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

19. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बैंक नीलामी की कार्यवाही का सहारा लेकर ऋण की वसूली के लिए आगे बढ़ रहा था और साथ ही, डीआरटी के समक्ष स्थगन के लिए आवेदन अनिर्णीत रहा, दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए, रिट कोर्ट ने हालांकि 30.01.2018 को आयोजित होने वाली नीलामी कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई, लेकिन यह आदेश देकर रिट याचिकाकर्तागण के हितों की रक्षा की कि डीआरटी से पहले अगली तारीख तक बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी, जो 02.02.2018 थी। डीआरटी को अगली तारीख पर स्थगन आवेदन पर सुनवाई करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, यह ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्तागण ने पूरे बकाया ऋण को चुकाने की इच्छा दिखाई थी और कहा था कि उन्होंने पर्याप्त राशि का भुगतान किया है। विशेष रूप से, रिट कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि 02.02.2018 को स्थगन आवेदन पर सुनवाई नहीं होती है,

तो न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थगन आवेदन की सुनवाई तक लागू रहेगा और डीआरटी को जल्द से जल्द स्टे आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। ये सभी निर्देश रिट याचिकाकर्तागण द्वारा आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर बैंक को 7,00,000 रुपये (सात लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने के अधीन थे, अर्थात 25.01.2018। इसके अलावा, रिट कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बैंक को नोटिस जारी किए बिना रिट याचिका का निपटारा किया जा रहा था, बैंक को आदेश के संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता भी दी।

20. विद्वान एकलपीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.01.2018 के पैरा संख्या 3 में जारी निर्देश स्पष्ट था कि रोक आवेदन की सुनवाई तक सुरक्षात्मक छतरी लागू रहेगी और डीआरटी को जल्द से जल्द स्थगन आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। आदेश में कोई समानता नहीं है। इस आदेश के पीछे की भावना रिट याचिकाकर्तागण को बिक्री की पुष्टि और तीसरे पक्ष के हित के सृजन के खिलाफ उनके स्थगन आवेदन की सुनवाई तक बचाने के लिए थी। स्थगन आवेदन की सुनवाई तक जारी रखने के लिए संरक्षण के इस अवलोकन का केवल एक अर्थ है कि स्थगन आवेदन के निर्णय तक संरक्षण जारी रहेगा। यह कहना, जैसा कि अपीलार्थीगण-अवमाननाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, कि अंतरिम संरक्षण केवल स्थगन आवेदन की सुनवाई की तारीख तक उपलब्ध था, न कि स्थगन आवेदन के निर्णय तक, न केवल न्यायालय के आदेश का जानबूझकर गलत अर्थ निकालना है, बल्कि बैंक अधिकारियों की ओर से इस न्यायालय के आदेशों और कार्यवाही को किसी तरह दरकिनार करने के लिए भी दर्शाता है।

21. डीआरटी द्वारा विभिन्न तिथियों पर पारित आदेशों को इस न्यायालय के अवलोकन के लिए रखा गया है। 25.01.2018 के बाद, मामले को सूचीबद्ध किया गया और स्थगित कर दिया गया, लेकिन स्थगन आवेदन पर एक या दूसरे तरीके से कोई आदेश पारित नहीं किया गया, या तो इसकी अनुमति दी गई या अस्वीकार कर दी गई। 09.02.2018 को, पक्षों की उपस्थिति दर्ज की गई और वह उत्तर अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर किया गया, जिसकी प्रति आवेदकों-रिट याचिकाकर्तागण को दी गई, मामले को 03.04.2018 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। उस दिन स्थगन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। डीआरटी ने सुनवाई की अगली

तारीख 03.04.2018 तय की और उस दिन, यह दर्ज किया गया कि पीठासीन अधिकारी डीआरटी, जयपुर में कैंप कोर्ट आयोजित नहीं कर रहे हैं, इसलिए, सुनवाई की अगली तारीख 04.07.2018 तय की गई थी। हालांकि, बैंक द्वारा शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर रजिस्ट्रार, डीआरटी द्वारा 13.04.2018 को मामले को 16.04.2018 को सूचीबद्ध करने का आदेश पारित किया गया था।

22. 16.04.2018 को, आवेदकों-रिट निर्देशों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसकी प्रति प्रत्यर्थी-बैंक के अधिवक्ता को दी गई थी और बैंक के अधिवक्ता ने उस आवेदन का उत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा था। आदेश में यह भी कहा गया है कि आईए संख्या 239/2018 की प्रति की आपूर्ति न करने के संबंध में एक आपत्ति भी आवेदकों-रिट याचिकाकर्तागण द्वारा उठाई गई थी और बैंक को उस आवेदन की प्रति आवेदकों-रिट याचिकाकर्तागण को देने का निर्देश दिया गया था और मामले को पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखने का अनुरोध किया गया था और इसलिए मामले को 20.04.2018 को डीआरटी के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। 16.04.2018 को ये कार्यवाही डीआरटी के रजिस्ट्रार द्वारा भी तैयार की गई थी क्योंकि पीठासीन अधिकारी उस दिन बैठक नहीं कर रहे थे।

इसके बाद 20 अप्रैल 2018 को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया। उस दिन, डीआरटी ने 24.05.2018 को रजिस्ट्री के समक्ष प्रत्युत्तर दाखिल करने का आदेश पारित किया। आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि स्थगन आवेदन पर कोई सुनवाई हुई थी, उस पर निर्णय तो बिल्कुल भी नहीं लिया गया था।

23. इस प्रकार, स्थगन आवेदन पर कोई सुनवाई किए बिना, प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्तागण द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर डीआरटी द्वारा पारित किसी भी आदेश को तो बिल्कुल भी नहीं, बैंक-अधिकारियों ने 26.04.2018 को 28.02.2018 को नीलामी के तहत बिक्री की पुष्टि की और रिट याचिकाकर्तागण की अचल संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी के साथ बिक्री प्रमाणपत्र भी जारी किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि स्थगन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, बहुत कम प्रभावी सुनवाई, रिट याचिकाकर्तागण द्वारा किए गए स्थगन के लिए प्रार्थना पर हुई थी

और मामले को 20.04.2018 को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए स्थगित कर दिया गया था और इसके तुरंत बाद, बिक्री की पुष्टि की गई थी और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया था और कब्जा सौंप दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का कार्य था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, न्यायालय के आदेश की भावना यह थी कि जब तक स्थगन आवेदन पर सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा, जाहिर है, क्योंकि न्यायालय का विचार था कि कम से कम सुनवाई और स्थगन आवेदन के निर्णय तक, बिक्री की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा स्थगन के लिए प्रार्थना ही निरर्थक हो जाएगी। यह रिट याचिकाकर्तागण की अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामला था। रिट कोर्ट द्वारा दिनांक 25.01.2018 के आदेश के तहत सभी बकाया राशि का निपटान करने के लिए रिट याचिकाकर्तागण द्वारा दिखाई गई इच्छा को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्रदान किया गया था। जाहिर है, बैंक अधिकारी जल्दी में थे, जिसका कारण उन्हें ही सबसे अच्छा पता था। वे सुनवाई की विभिन्न तारीखों पर डीआरटी के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार थे और यह उनकी व्यक्तिगत जानकारी में था कि स्थगन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई आदेश पारित करना तो दूर की बात है।

24. दिनांक 25.01.2018 के आदेश का स्पष्ट रूप से रिट याचिकाकर्तागण को उनके स्थगन आवेदन पर सुनवाई तक संरक्षण प्रदान करने का इरादा था। आदेश को संकीर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही बिना किसी आदेश के पारित होती है क्योंकि यह पूरी तरह से बेतुका होगा। किसी भी मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यहां तक कि स्थगन आवेदन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और विभिन्न तिथियों पर दलीलों का आदान-प्रदान किया गया था, आवेदनों की आपूर्ति, प्रत्युत्तर दायर करने आदि के लिए निर्देश जारी किए गए थे। 26.04.2018 को बिक्री की पुष्टि की तारीख तक, डीआरटी के विभिन्न आदेश पत्रों से परिलक्षित कोई भी आदेश यह नहीं दर्शाता है कि पार्टियों द्वारा स्थगन आवेदन की सुनवाई के लिए कोई तर्क दिया गया था। यहां तक कि सुनवाई भी नहीं हुई थी। इसलिए, अपीलार्थीगण का तर्क है कि चूंकि सुनवाई हुई थी, इसलिए, दिनांक 25.01.2018 के आदेश के तहत दी गई सुरक्षा

स्वतः समाप्त हो गई, उसके पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है और यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या और पूरी तरह से तुच्छ है। यदि अपीलार्थीगण-अवमाननाकर्ताओं की दलीलों को रजिस्ट्रार, डीआरटी के दिनांक 13.04.218 के आदेश के साथ जोड़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मामले की सुनवाई बैंक द्वारा की गई प्रार्थना पर समय से पहले की गई थी। जब 16.04.2018 को मामला फिर से सूचीबद्ध किया गया था, तो कोई सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन केवल दलीलों के आदान-प्रदान के लिए निर्देश जारी किया गया था। डीआरटी के समक्ष इस पर सुनवाई भी नहीं हुई थी लेकिन मामले को सुनवाई के लिए मामले को तय करने के लिए रजिस्ट्रार, डीआरटी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब मामला 20.04.2018 को डीआरटी के समक्ष आया, तो मामला 24.05.2018 को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। आदेश में कोई कानाफूसी नहीं है कि कोई सुनवाई हुई थी, बहुत कम स्टे आवेदन पर पारित कोई आदेश।

25. अपीलार्थीगण ने यह भी रुख अपनाया है कि जब रिट याचिकाकर्तागण को संरक्षण देने का आदेश 25.01.2018 को रिट कोर्ट द्वारा पारित किया गया था, तो यह केवल नीलामी के संबंध में था जो 30.01.2018 को निर्धारित किया गया था, लेकिन नीलामी नहीं होने के कारण, नीलामी की तारीख तय करते हुए नए नोटिस जारी करके नीलामी की नई अनुसूची तय की गई थी। नीलामी हुई, बिक्री की पुष्टि हुई और बिक्री प्रमाणपत्र भी जारी किया गया। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि यह दिनांक 25.01.2018 के आदेश के दायरे में नहीं था।

यह तर्क दहलीज पर खारिज होने योग्य है। रिट याचिकाकर्तागण ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि बैंक ने उनकी अचल संपत्ति की नीलामी के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी और लंबित होने के बावजूद स्थगन के लिए उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं हो रही थी। केवल इसलिए कि जिस समय 25.01.2018 को आदेश पारित किया गया था, उस समय 30.01.2018 को योग तय किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि उस दिन, नीलामी नहीं हो सकी या कोई कारण और नीलामी की नई तारीख तय की गई थी, तो रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 के तहत सुरक्षात्मक छतरी लागू नहीं

होगी। अपीलार्थीगण-अवमाननाकर्ताओं का ऐसा रुख बिना किसी तर्क और तर्क के है। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो यह हमेशा एक पक्ष के लिए खुला होगा कि वह निर्धारित तारीख पर नीलामी को रद्द करके, ताजा नीलामी नोटिस जारी करके और बिक्री की पुष्टि और कब्जे की डिलीवरी के साथ आगे बढ़ने के लिए न्यायालय के आदेश की अवहेलना करे। इसलिए इस तर्क का भी कोई दम नहीं है।

26. विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए एक उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बैंक के अधिकार पर बहुत जोर दिया गया है और रिट कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है। पहली बात तो यह है कि इस बचाव में पानी नहीं है और यह कानून में मान्य नहीं है। अवमानना कार्यवाही का सामना करते समय, अवमाननाकर्ताओं को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि आदेश, जिसकी उनके द्वारा अवहेलना की गई थी, कानून की न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिए था। यदि बैंक रिट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 25.01.2018 के आदेश से असंतुष्ट था, तो यह बिना किसी उपाय के नहीं था, लेकिन उसने उस आदेश के खिलाफ कोई उपाय नहीं करने का निर्णय किया और आदेश को दरकिनार करने के तरीकों और साधनों का पता लगाया। चूंकि जिस दिन बिक्री की पुष्टि की गई थी, बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया था और अचल संपत्ति का कब्जा नीलामी खरीदार को दिया गया था, आदेश दिनांक 25.01.2018 लागू और प्रभावी रहा, न तो रुका और न ही किसी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया, संबंधित अधिकारियों का कार्य अपीलार्थीगण-अवमाननाकर्ताओं द्वारा निर्धारित नीलामी की नई तारीख का मामला होने की आड़ में आदेश को दरकिनार करने के लिए एक सुनियोजित डिजाइन के अलावा और कुछ नहीं था। यह तर्क भी बिना किसी योग्यता के है और अवमानना कार्यवाही में विद्वान एकलपीठ द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।

27. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 25.01.2018 के आदेश ने नीलामी की कार्यवाही पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई थी। एकमात्र संयम बिक्री की पुष्टि के खिलाफ था क्योंकि बिक्री की पुष्टि अचल संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी के बाद होती थी और यदि डीआरटी के समक्ष स्थगन के लिए आवेदन नहीं सुना जाता है, तो यह स्थगन के लिए प्रार्थना को विफल कर देगा, तीसरे पक्ष के हित, अर्थात

नीलामी क्रेता को शामिल करके जटिलताएं पैदा करेगा। हालांकि, संबंधित बैंक अधिकारियों ने अनुचित जल्दबाजी के साथ काम किया और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि डीआरटी के समक्ष स्थगन के लिए आवेदन की सुनवाई से पहले, किसी तरह रिट याचिकाकर्तागण की अचल संपत्ति बेची जाए और कार्यवाही पूरी हो।

28. अपीलार्थीगण द्वारा एक शिकायत उठाई गई है कि रिट याचिकाकर्तागण ने रिट कोर्ट के समक्ष तथ्यों का सही बयान नहीं दिया, जिसके द्वारा दिनांक 25.01.2018 का आदेश पारित किया गया था। इससे संबंधित बैंक अधिकारियों को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। यदि संबंधित बैंक अधिकारियों का यह विचार था कि रिट याचिकाकर्तागण ने रिट न्यायालय के समक्ष तथ्यों को सही ढंग से नहीं बताया था और रिट न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में आदेश प्राप्त किया था, तो उनके लिए एकमात्र रास्ता यह था कि वे या तो आदेश की समीक्षा करें या आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दें, लेकिन इनमें से किसी भी विधिक रूप से अनुमेय पाठ्यक्रम का सहारा नहीं लिया गया।

29. एक और तर्क दिया गया है कि आदेश, जिसकी अवज्ञा का आरोप लगाया गया है, को रिट याचिकाकर्तागण द्वारा अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया गया था और उसके बाद, समीक्षा भी दायर की गई थी। इसलिए, समीक्षा के लंबित रहने के दौरान किसी अवमानना का आरोप नहीं लगाया जा सका।

30. यह तर्क स्वीकृति के योग्य नहीं है। रिट याचिकाकर्तागण ने दिनांक 25.01.2018 के आदेश के माध्यम से रिट कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई राहतों की तुलना में कई और राहतों की मांग की थी और इसलिए, उन्होंने कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध उपाय का सहारा लिया। रिट याचिकाकर्तागण के कहने पर पुनर्विचार याचिका के लंबित रहने को 25.01.2018 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने के किसी आदेश के अभाव में, एक ढाल के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि दिनांक 25.01.2018 का आदेश समीक्षा याचिका के लंबित होने के बावजूद लागू रहा। यह ऐसा मामला नहीं है जहां बैंक ने कानून के तहत उपलब्ध किसी आधार पर आदेश की समीक्षा के लिए समीक्षा याचिका दायर की हो

और स्पष्टीकरण मांगने के लिए उचित समय दिए बिना अवमाननाकर्ताओं की अवमानना की कार्यवाही की गई हो. दिनांक 25.01.2018 का आदेश पूरी तरह से लागू रहा। इसलिए संबंधित बैंक अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने, बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने और नीलामी के खरीदार को संपत्ति का कब्जा जल्दबाजी में देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते थे।

31. अवमाननाकर्ताओं के साथ-साथ नीलामी क्रेता, दोनों ने एक आम आधार उठाया है कि अवमानना का आदेश पारित करते समय विद्वान एकलपीठ का निर्देश, जहां तक यह माना जाता है कि नीलामी बिक्री, जो आदेश की अवज्ञा में थी, शुरू से ही शून्य थी, कानून के अनुरूप नहीं है।

विद्वान एकलपीठ ने अवमानना याचिका में अवमाननाकर्ताओं को जानबूझकर अवज्ञा का दोषी ठहराते हुए, एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि 26.04.2018 को बिक्री की पुष्टि के साथ-साथ बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना भी शून्य होगा, जो **जेहल तांती और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, **थॉमसन पे्रस (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विशिष्ट भरोसा किया गया है कि बिक्री तकनीकी रूप से अमान्य नहीं होगी यद्यपि अवमानना के दोषी पक्ष को दंडित किया जा सकता है।

थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा.) के मामले में, निषेधाज्ञा के उल्लंघन में बिक्री के प्रभाव के रूप में एक मुद्दे पर विचार किया गया था। यह माना गया था कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन स्वचालित रूप से हस्तांतरण को प्रस्तुत नहीं करेगा, चाहे वह पूर्ण बिक्री के माध्यम से हो या अन्यथा अप्रभावी हो। उल्लंघन करने वाला पक्ष निस्संदेह उसके द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए दंडित होने का दायित्व वहन कर सकता है, लेकिन बिक्री स्वयं ही वैध रह सकती है क्योंकि लेनदेन के लिए पार्टियों के बीच केवल किसी भी निर्देश के अधीन है जो सक्षम न्यायालय मामले में जारी कर सकता है। उक्त निर्णय के पैरा 52 में निहित इस संबंध में टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

"**52.** इसलिए, किसी भी संदेह के लिए बहुत कम जगह है

> कि सूट संपत्ति पेंडेट लाइट का हस्तांतरण शुरू से ही शून्य नहीं है और ऐसी किसी भी संपत्ति का खरीदार लंबित मुकदमे में वादी के अधिकारों के अधीन सौदा करता है। यद्यपि उपरोक्त निर्णय एक तथ्य की स्थिति से निपटते नहीं हैं जहां बिक्री विलेख एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन में निष्पादित किया जाता है, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि इस तरह के किसी भी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को हस्तांतरण को प्रस्तुत करना चाहिए चाहे वह पूर्ण बिक्री के माध्यम से हो या अन्यथा अप्रभावी हो। उल्लंघन करने वाला पक्ष निस्संदेह उसके द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए दंडित किए जाने का दायित्व वहन कर सकता है, लेकिन बिक्री स्वयं लेनदेन के पक्षकारों के बीच वैध रह सकती है, केवल किसी भी निर्देश के अधीन जो सक्षम न्यायालय विक्रेता के खिलाफ वाद में जारी कर सकता है।

जेहल तांती और अन्य (सुप्रा.) के मामले में, यह मुद्दा मुख्य रूप से अंतरिम आदेश/निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार और अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है, जबकि अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दा अभी भी उस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यह माना गया है कि भले ही, बाद में यह पाया जाता है कि न्यायालय के पास उसके समक्ष विषय वस्तु से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इस तरह की घोषणा किए जाने से पहले उसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश, उस अवधि के दौरान अप्रभावी नहीं माना जाएगा जब वह संचालन में था, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर निर्णय लेने के बाद ही इसका प्रभाव खो देगा। ऐसी विशेष स्थिति से निपटने वाले सिद्धांतों को नीचे प्रतिपादित किया गया था:

> "**10.** निषेधाज्ञा के आदेश के उल्लंघन में किए गए अलगाव की प्रकृति और प्रभाव पर तैयबभाई एम. बागसरवाला बनाम हिंद रबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (1997) 3 एससीसी 443 में विचार किया गया था और निम्नलिखित प्रस्ताव निर्धारित किए गए थे: (एससीसी पीपी 453-54 और 459-60, पैरा 16 और 27-28)
>
> "16. इस धारा के अनुसार, यदि अंतरिम राहत प्रदान करने या खाली करने के लिए आवेदन की सुनवाई पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो न्यायालय को पहले से दी गई राहत देने या अलग करने से पहले उस मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित

करना चाहिए। न्यायालय में अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाने वाले आवेदन को सभी तेजी से सुनने का निर्देश दिया जाता है। उप-नियम (2), हालांकि, कहता है कि उप-नियम (1) में आदेश न्यायालय को ऐसी अंतरिम राहत देने से नहीं रोकता है क्योंकि वह अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लंबित होने तक आवश्यक समझ सकता है। हमारी राय में, प्रावधान केवल स्पष्ट बताता है। यह स्पष्ट करता है कि कानून में क्या निहित है। सिर्फ इसलिए कि अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाई जाती है, न्यायालय तुरंत असहाय नहीं हो जाती है - और न ही यह अंतरिम राहत देने में अक्षम हो जाती है। यह कर सकते हैं। साथ ही, इसे जल्द से जल्द अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति का निर्णय भी करना चाहिए।

यह सामान्य सिद्धांत है और यही धारा 9-क दोहराती है। इसी मामले को ही ले लीजिए। वादी ने अस्थायी निषेधाज्ञा मांगी। एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी। तब प्रत्यर्थी निषेधाज्ञा देने पर आपत्ति जताते हुए आगे आए और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर भी आपत्ति जताई। न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के रूप में आपत्ति को खारिज कर दिया और अंतरिम निषेधाज्ञा को निरपेक्ष बना दिया। प्रत्यर्थीगण ने अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय के खिलाफ अपील दायर की। जबकि वह अपील लंबित थी, सिविल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा कई अन्य अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। अंतत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने पाया है कि सिविल न्यायालय के पास वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था लेकिन इस सब में लगभग छह वर्ष लग गए। क्या यह कहा जा सकता है कि छह साल की इस अवधि के दौरान सिविल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सभी गैर-स्थायी, और यह प्रत्यर्थीगण के लिए खुला है कि वे बिना किसी परिणाम के डर के उनकी धज्जियां उड़ाएं। बेशक, यह तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता। प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को अंतरिम/अंतर्वर्ती आदेशों की अवहेलना करने या अवज्ञा करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, जबकि वे लागू थे, अर्थात, अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले किए गए उल्लंघन और अवज्ञा के लिए। यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय (अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर) के आधार पर, किसी को भी उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से पहले किए गए अंतरिम आदेशों की अवज्ञा या उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, वास्तव

में कानून के शासन के खिलाफ होगा और अदालतों की गरिमा और अधिकार को गंभीर रूप से नष्ट कर देगा। हमें दोहराना चाहिए कि यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां जानबूझकर या केवल अंतरिम आदेश छीनने के उद्देश्य से गलत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर किया गया था। हमारी राय है कि ऐसे मामले में प्रत्यर्थी अपनी अवज्ञा और अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले उनके द्वारा किए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के उल्लंघन के परिणामों से बच नहीं सकते हैं।

* * *

27. प्रत्यर्थी 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह अवमानना के लिए कार्यवाही नहीं है, बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के नियम 2-ए के तहत कार्यवाही है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश 39 नियम 2-ए के तहत कार्यवाही इसके निषेधाज्ञा का पालन करने के लिए जबरदस्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है और एक बार यह पाया जाता है कि न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसके आदेशों का पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अंतरिम आदेश को लागू करने के बाद यह पाया जाता है कि न्यायालय के पास उक्त मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, न केवल अन्यायपूर्ण और अवैध होगा, बल्कि न्यायालय की गरिमा और अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह भी सुझाव दिया जाता है कि वादी ने पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए सिविल कोर्ट में वर्तमान मुकदमा दायर किया था कि उसके पास इसकी कोशिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इनमें से किसी भी निवेदन से न केवल सिद्धांत पर बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) की धारा 9-ए में निहित विशिष्ट प्रावधान के आलोक में भी सहमत होना संभव नहीं है। उक्त प्रावधान के आलोक में, यह कहना सही नहीं होगा कि सिविल कोर्ट के पास अंतरिम आदेश या अंतरिम निषेधाज्ञा, जैसा भी मामला हो, पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर निर्णय लंबित था। किए गए आदेश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में थे और एक बार ऐसा होने के बाद, उनका पालन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रत्यर्थीगण को सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किए गए उल्लंघनों के लिए दंडित करने की मांग की जा रही है। यहां प्रत्यर्थीगण को भूमि अधिग्रहण अधिकारी बनाम विशनजी वीरजी मेपानी

एआईआर 1996 बीओएम में उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले किए गए निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा और उल्लंघन के लिए दंडित करने की मांग की जाती है।

366. धारा 9-ए के अनुसार, सिविल कोर्ट और उच्च न्यायालय के पास उस निर्णय तक अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति थी। यदि उनके पास वह शक्ति थी तो उनके पास उन्हें लागू करने की शक्ति भी होनी चाहिए। उक्त प्रावधान के आलोक में, यह भी नहीं माना जा सकता है कि उन आदेशों को केवल उक्त निर्णय तक लागू किया जा सकता है लेकिन उसके बाद नहीं। उक्त निर्णय उन्हें (इस बीच पारित अंतरिम आदेश) या तो गैर-स्था या अधिकार क्षेत्र के बिना प्रस्तुत नहीं करता है। उक्त निर्णय (विशनजी वीरजी मेपानी) से पहले किए गए उक्त आदेशों के उल्लंघन के लिए प्रत्यर्थीगण को दंडित करना, किसी भी स्थिति में, उक्त निर्णय के बाद उन्हें लागू करने के बराबर नहीं है। अब केवल आदेश पारित किए जा रहे हैं। उल्लंघन वे हैं जो उक्त निर्णय से पहले किए गए थे।

28. इसलिए, सही सिद्धांत धारा 9-ए में मान्यता प्राप्त और दोहराया गया है - बुद्धि के लिए, जहां एक सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति एक मुकदमे पर विचार करने और उसमें कोई अंतरिम आदेश पारित करने के लिए उठाई जाती है, तो न्यायालय को पहली बार में क्षेत्राधिकार के प्रश्न का निर्णय करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लंबित है, न्यायालय के पास अंतरिम आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कहा जा सकता है। क्षेत्राधिकार पर केवल आपत्ति न्यायालय को कोई अंतरिम आदेश पारित करने से तुरंत अक्षम नहीं करती है। यह अभी तक उचित आदेश पारित कर सकता है। साथ ही, इसे जल्द से जल्द अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर भी निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार पारित अंतरिम आदेश क्षेत्राधिकार के भीतर आदेश होते हैं जब पारित हो जाते हैं और तब तक प्रभावी होते हैं जब तक कि न्यायालय यह निर्णय नहीं ले लेता कि उसके पास वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये अंतरिम आदेश निस्संदेह इस निर्णय के साथ समाप्त हो जाते हैं कि इस न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। न्यायालय इन आदेशों को संशोधित करने के लिए खुली है, जबकि यह मानते हुए कि उसके पास मुकदमे की कोशिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दरअसल, कुछ स्थितियों में, ऐसे आदेशों को संशोधित करना या उचित निर्देश देना उसका कर्तव्य होगा। उदाहरण के लिए, एक मामला लें, जहां एक

> पक्ष को रिसीवर नियुक्त करके या अन्यथा सूट संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है; ऐसे मामले में, न्यायालय को यह मानते हुए कि उसके पास वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, पक्ष को उस स्थिति में वापस रखना चाहिए जो वह वाद की तारीख पर था। लेकिन इस शक्ति या बाध्यता का इस प्रस्ताव से कोई लेना-देना नहीं है कि लागू होने के दौरान, इन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए और उनके उल्लंघन को वादी के खिलाफ अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद भी दंडित किया जा सकता है, बशर्ते*उल्लंघन क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर न्यायालय के निर्णय से पहले किया गया हो।
>
> (बल दिया गया)"

उस निर्णय ने अंतरिम आदेश के लागू होने के दौरान किए गए लेनदेन पर अंतरिम आदेश के प्रभाव और प्रभाव से संबंधित नहीं किया, हालांकि यह माना गया है कि यह अंतरिम आदेश और बचाव का उल्लंघन होगा कि न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश जो अंततः यह मानता है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, (ग) न्यायाधिकार क्षेत्र के मुद्दे को केवल इसलिए गैर-स्थायी नहीं माना जाएगा क्योंकि बाद में क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लिया गया है और यह माना गया है कि न्यायालय, जिसने अंतरिम आदेश/निषेधाज्ञा आदेश पारित किया था, के पास विषय-वस्तु से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। उक्त निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि अंतरिम आदेश लागू होने की अवधि के दौरान किया गया कोई भी बिक्री लेनदेन शून्य या गैर-स्था होगा।

32. दूसरी ओर, **थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से मानता है कि निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन में बिक्री का लेन-देन स्वचालित रूप से अप्रभावी नहीं होगा, हालांकि उल्लंघन करने वाले पक्ष को इसके द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए दंडित करने का दायित्व वहन करना पड़ सकता है।

इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विद्वान एकलपीठ का यह निष्कर्ष कि बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना शुरू से ही शून्य होगा, **थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दोषों के खिलाफ है। साथ ही, पीड़ित पक्ष को कानून के तहत अनुमेय उचित मंच के

समक्ष अलग-अलग कार्यवाही का गठन करके इस पहलू पर निर्णय लेने के लिए उपाय उपलब्ध होगा।

33. जहां तक अनुपूरक निर्देश जारी करने के लिए अवमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दे का संबंध है, हमें इस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्देश, जो पूरक नहीं हैं बल्कि परिणामी हैं, विद्वान एकलपीठ द्वारा इस निष्कर्ष पर जारी किए गए हैं कि बिक्री और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की पुष्टि शुरू से ही शून्य है। निश्चित रूप से, यदि यह माना जाना था कि यह अवमानना याचिका का निर्णय लेने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर था कि बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने को शुरू से ही शून्य घोषित किया जाए, तो अवमानना कार्यवाही में विद्वान एकलपीठ द्वारा जारी निर्देश कि प्रत्यर्थी-अवमाननाकर्ताओं को अवमानना याचिकाकर्तागण की अचल संपत्ति पर कब्जा वापस लेने का निर्देश दिया जाता है, टिकाऊ होता। यह अनुपूरक निर्देश नहीं था, लेकिन परिणामी निर्देश, **सुधीर वासुदेव, अध्यक्ष और एमडी ओएनजीसी और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

ऊपर दर्ज निष्कर्षों के मद्देनजर, हमारे लिए आगे टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कब्जा वापस लेने का निर्देश इस निष्कर्ष पर आधारित है कि बिक्री और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की पुष्टि शुरू से ही शून्य थी, जिसे हमने बरकरार नहीं रखा है।

34. अवमाननाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों में से एक यह है कि अवमाननाकर्ताओं में से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष के बिना, विद्वान एकलपीठ ने अवमानना याचिका का निर्णय करते समय सभी अवमाननाकर्ताओं को अवमानना का दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो अवमानना याचिका में, न ही अन्य पूरक हलफनामों में, अवमानना याचिकाकर्तागण ने विशेष रूप से प्रत्येक अवमाननाकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका का आरोप लगाया है। यह तर्क दिया गया है कि 25.01.2018 के आदेश के अनुसार भी, नीलामी की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई थी और निर्देश नीलामी कार्यवाही की पुष्टि नहीं करने का था। अवमानना याचिका में, इस बारे में कोई विशिष्ट कथन नहीं किया गया है कि प्रत्येक अवमाननाकर्ता बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र

जारी करने की प्रक्रिया में कैसे शामिल था।

35. संबंध में, हम पाते हैं कि जिस समय अवमानना याचिका (एसबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 1003/2018) दायर की गई थी, अवमानना याचिकाकर्तागण ने दलीलों में आरोप लगाया था कि आदेश दिनांक 25.01.2018 के बावजूद, अवमानना याचिकाकर्तागण को दिनांक 16.04.2018 को बिक्री नोटिस दिया गया था। अवमानना याचिकाकर्तागण के अनुसार, जिस समय अवमानना याचिका दायर की गई थी, उस समय दिनांक 16.04.2018 को बिक्री नोटिस के तहत नीलामी आयोजित करने की कार्यवाही में अवमाननाकर्ताओं की कार्रवाई अवमानना थी। अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी-अवमाननाकर्ताओं द्वारा उत्तर दाखिल किया गया और यह पता चला कि नीलामी न केवल हुई बल्कि बिक्री की पुष्टि भी हुई। अवमाननाकर्ताओं द्वारा दायर उत्तर के पैरा 8.डी में, यह खुलासा किया गया था कि 28.02.2018 को, नई नीलामी की गई थी, जिसमें संपत्ति को उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलाम किया गया था और बिक्री प्रमाणपत्र 26.04.2018 को जारी किया गया था। अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ, बिक्री प्रमाणपत्र दिनांक 26.04.2018 को अनुलग्नक पी -7 दायर किया गया है, जिससे पता चलता है कि बिक्री प्रमाणपत्र अरिनेन्दु शेखर द्वारा मुख्य प्रबंधक, परिसंपत्ति वसूली प्रकोष्ठ और अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा राजापार्क, जयपुर, राजस्थान की हैसियत से जारी किया गया है। कहा कि अरिनेन्दु शेखर अवमानना याचिका में पक्षकार नहीं थे। अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी-अवमाननाकर्ताओं ने हालांकि बिक्री की पुष्टि की कार्रवाई का बचाव किया था, न तो अवमानना याचिका से, न ही उत्तर, अतिरिक्त हलफनामों या अवमानना याचिकाकर्तागण सहित पार्टियों द्वारा दायर अन्य दलीलों से, यह पता चलेगा कि बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में प्रत्यर्थी-अवमाननाकर्ताओं द्वारा क्या भूमिका निभाई गई थी, जिसके बाद कब्जे की डिलीवरी और अंत में बोली राशि की स्वीकृति की गई थी। नीलामी खरीदार। अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी-अवमाननाकर्ताओं द्वारा प्रतिशोधी-अवमाननाकर्ताओं द्वारा प्रतिवाद शपथ-पत्र या अन्यथा बिक्री प्रमाणपत्र की बिक्री और जारी करने की पुष्टि की कार्रवाई का खुलासा करने के बाद भी, अवमानना याचिकाकर्तागण ने यह

आरोप नहीं लगाया है कि बिक्री और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की पुष्टि अवमानना याचिका में निहित अवमाननाकर्ताओं के निर्देशों/आदेशों के तहत थी। बिक्री की पुष्टि किसने की है, अवमानना याचिका में विशेष रूप से दलील नहीं दी गई है। हालांकि यह सच है कि अपीलार्थी-बैंक अधिकारियों ने बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई का बचाव करने की मांग की है, जिसे विद्वान एकलपीठ ने स्वीकार नहीं किया है और यहां तक कि, हमारा विचार है कि बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना बिक्री प्रमाणपत्र अवमानना याचिकाकर्तागण द्वारा दायर रिट याचिका में पारित दिनांक 25.01.2018 के आदेश के अनुरूप था, हमारे समक्ष कोई विशिष्ट दलील या सामग्री नहीं थी कि बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना आदेश पर था /अपीलार्थीगण (अरिनेंदु शेखर को छोड़कर) को आदेश/निर्देश दें, जिन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया है, भले ही हमारा विचार है कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया था और बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना था न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, प्राधिकारी, जिन्होंने बिक्री की पुष्टि की और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया, उन्हें पार्टी अवमाननाकर्ता के रूप में शामिल नहीं किया गया और जिन्हें पार्टी अवमाननाकर्ता के रूप में शामिल किया गया, उन्हें बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई।, हम खुद को यह मानने में असमर्थ पाते हैं कि अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं।

36. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश को उस अधिकारी को शामिल करने के लिए व्यापक स्वीप के आदेश के रूप में लिया गया था, जिसने बिक्री की पुष्टि की थी और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया था, जिसका नाम अरिनेन्दु शेखर, मुख्य प्रबंधक था, हालांकि वह अवमानना याचिका का पक्षकार नहीं था। अरिनेन्दु शेखर अन्य तीन अधिकारियों श्री शंकर झा, श्री राहुल और श्री प्रगति कुमार द्वारा दायर अपील (खंडपीठ सिविल स्पेशल अपील (सिविल) संख्या 22/2018) में अपीलार्थीगण में से एक हैं, जिन्हें अवमानना याचिकाकर्तागण नंद किशोर और श्रीमती उषा खंडेलवाल द्वारा दायर अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया था।

37. अपील संख्या 22/2018 में, अपीलार्थी संख्या 4, अरिनेन्दु शेखर, जो संबंधित मुख्य प्रबंधक थे और बिक्री की पुष्टि करते थे और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करते थे, अवमानना कार्यवाही में शामिल नहीं होने के कारण, उनके पास बचाव करने का कोई अवसर नहीं था कि न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.01.2018 का आदेश उनके नोटिस और ज्ञान में नहीं था। अपील में, उन्होंने बिक्री की पुष्टि और बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अन्य अवमाननाकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है। यह दिखाने के लिए न तो कोई दलील है, न ही सामग्री है कि अरिनेन्दु शेखर (खंडपीठ सिविल स्पेशल अपील सिविल में अपीलार्थी संख्या 4) संख्या 22/2018) न केवल 25.01.2018 के आदेश से पूरी तरह अवगत थे, बल्कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भी, उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी, फिर भी, उन्होंने बिक्री की पुष्टि की और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया।

38. अवमानना याचिका तीन व्यक्तियों श्री शंकर झा, श्री राहुल और श्री प्रगति कुमार के विरुद्ध दायर की गई थी। हम आगे पाते हैं कि उपरोक्त तीन अवमाननाकर्ताओं द्वारा उत्तर दायर किए जाने के बाद, अवमानना याचिका के बाद के चरण में, अवमाननाकर्ताओं की ओर से अरिनेन्दु शेखर (अपील संख्या 22/2018 में अपीलार्थी संख्या 4) द्वारा एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दायर किया गया था। शपथ-पत्र में अरिनेन्दु शेखर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी की हैसियत से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने का दावा किया है। उन्होंने शपथ-पत्र में आगे कहा है कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर या अनजाने में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है और बिना शर्त माफी मांगने की प्रार्थना भी की है। शपथ-पत्र के पैरा 4 से पता चलता है कि न्यायालय के दिनांक 25.07.2018 के निर्देश के अनुपालन में अवमानना याचिका में अतिरिक्त शपथ-पत्र दायर किया गया था, जिसमें बैंक को याचिकाकर्तागण की संपत्ति की नीलामी के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देते हुए एक विस्तृत शपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता थी। शपथ-पत्र की सामग्री इस आशय की है कि कार्यवाही 28.02.2018 को जारी रखी गई थी और बिक्री प्रमाणपत्र 26.04.2018 को जारी किया गया था और

फिर, 27.04.2018 को उप पंजीयक, डिग्गी, जिला टोंक के कार्यालय में नीलामी क्रेता के पक्ष में पंजीकृत किया गया था। अपने शपथ-पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि जब मामला 20.04.2018 को डीआरटी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो याचिकाकर्तागण के पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी।

39. जैसा कि यह हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को अवमानना कार्यवाही में पक्षकार के रूप में अभियोजित किए बिना, उसे नोटिस जारी किए बिना और अवमानना के आरोपों का खंडन करने का अवसर दिए बिना अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अरिनेन्दु शेखर बैंक में मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी थे, जिन्होंने नीलामी की थी, बिक्री की पुष्टि की थी और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया था, उच्च अधिकारियों द्वारा अवमानना याचिका में शपथ-पत्र दायर करने के लिए आवश्यक था ताकि अवमाननाकर्ताओं के कारण और बचाव का समर्थन किया जा सके, जिन्हें पहले से ही प्रत्यर्थी के रूप में अवमानना याचिका में शामिल किया गया था। बल्कि यह अरिनेन्दु शेखर के स्वयं एक पक्षकार होने और न्यायालय द्वारा देखे जाने का मामला है।

हम पहले ही ऊपर कह चुके हैं कि बिक्री की पुष्टि, बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने और उसके बाद की सभी कार्यवाही दिनांक 25.01.2018 के आदेश के तहत की गई थी, जो नहीं की जा सकती थी। हालांकि, इससे केवल यह निष्कर्ष निकलेगा कि न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की गई थी। यह मानने के लिए कि जानबूझकर अवज्ञा की गई थी, मामले में आरोपित अवमाननाकर्ताओं की व्यक्तिगत और सामूहिक भूमिका की जांच की जानी चाहिए। जब तक न्यायालय द्वारा निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता है कि अवज्ञा प्रकृति में जानबूझकर की गई थी, तब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

40. अवमाननाकर्ताओं, जिन्हें पहले से ही अवमानना याचिका में शामिल किया गया था, श्री शंकर झा, श्री राहुल और श्री प्रगति कुमार ने अपने उत्तर के पैरा 12 में कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से दिनांक 25.01.2018 के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है और यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्तागण ने बैंक के

उच्च अधिकारियों को घसीटा है। जो बिना किसी तुक और कारण के कथित लेनदेन में किसी भी क्षमता में शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए, यह याचिकाकर्तागण का दायित्व था कि वे स्पष्ट रूप से दलील दें और साबित करें कि बिक्री की पुष्टि, बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बाद संपत्ति के कब्जे के हस्तांतरण का संबंध है, अवमानना याचिका में शामिल तीन अवमाननाकर्ताओं की भूमिका थी।

जहां तक अरिनेन्दु शेखर का संबंध है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह वह था, जिसने बिक्री की पुष्टि की थी और बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया था, जो दिनांक 25.01.2018 के आदेश का उल्लंघन था क्योंकि अंतरिम आदेश ऑपरेटिव था, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, अरिनेन्दु शेखर को पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था, न ही उन्हें अवमानना कार्यवाही का कोई नोटिस जारी किया गया था। इसलिए उसे भी न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें अरिनेन्दु शेखर द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा की गई हो और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि भले ही उन्हें अवमानना याचिका में पक्षकार के रूप में पक्षकार के रूप में अभियोजित नहीं किया गया था, लेकिन वह जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

41. उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश को कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इसे रद्द किया जाता है।

चूंकि अवमानना याचिका अभी भी लंबित है क्योंकि सजा आदेश पारित नहीं किया गया था, हम अवमानना याचिकाकर्तागण को लंबित अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी-अवमाननाकर्ता के रूप में अरिनेन्दु शेखर के पक्ष में आवेदन करने की अनुमति देते हैं। यह बिना कहे चला जाता है कि अब तक अन्य अवमाननाकर्ताओं, जिन्हें मूल रूप से अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया था, के खिलाफ अब कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि इस न्यायालय ने माना है कि वे न्यायालय की अवमानना के दोषी नहीं हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, यह अवमानना याचिकाकर्तागण के लिए नीलामी की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए अलग कार्यवाही करने और ऐसे आधारों पर संपत्ति की वसूली की मांग करने के

लिए खुला होगा जो कानून के तहत उन्हें उपलब्ध हो सकते हैं, जिसमें यह आधार भी शामिल है कि नीलामी बिक्री की पुष्टि और बाद की सभी कार्यवाही न्यायालय के आदेश का उल्लंघन थी।

42. दोनों अपीलों को तदनुसार तरीके से और ऊपर बताए गए सीमा तक अनुमति दी जाती है।

(विनोद कुमार भरवानी), न्यायमूर्ति (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश

MANOJ NARWANI

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।